SHODH SAMAGAM
ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिला सशक्तिकरणः अवधारणा, चुनौतियाँ एवं समाधान

सीमा चौहान, पी–एचडी, शिक्षाशास्त्र विभाग
श्री गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
सीमा चौहान, पी–एचडी
E-mail : aarti3384@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 19/12/2025
Revised on : 20/02/2026
Accepted on : 01/03/2026
Overall Similarity : 00% on 21/02/2026

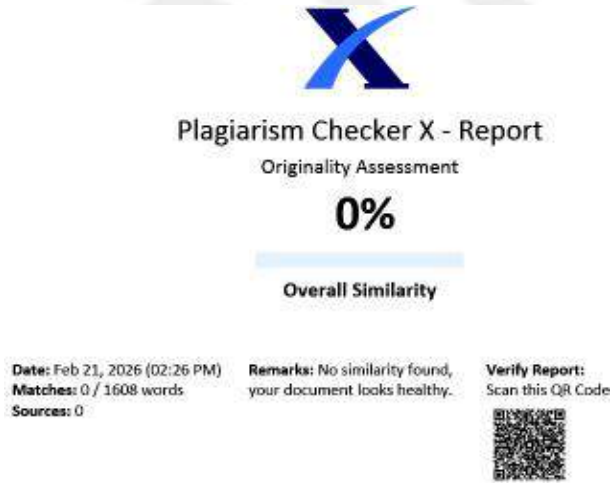

शोध सार

प्रस्तुत शोध–पत्र में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया गया है। महिला किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना की आधारशिला होती है। यदि महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर और अधिकार–संपन्न हों, तो राष्ट्र का समग्र एवं सतत् विकास संभव है। इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज में उसकी आवश्यकता, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं तथा समाधानात्मक उपायों का विस्तार से विवेचन किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, समान अवसरों की उपलब्धता तथा शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही संभव है।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, अवधारणा, चुनौतियाँ, समाधान.

प्रस्तावना

एक राष्ट्र का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास तभी संभव है जब समाज के दोनों आधार स्तंभ पुरुष और महिला समान रूप से प्रगति की प्रक्रिया में भाग लें। महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना है। यह केवल अधिकारों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और निर्णय–निर्माण की क्षमता का विकास भी है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील रही है। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार

था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख इसका प्रमाण है, परंतु मध्यकालीन सामाजिक संरचना एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और शिक्षा से वंचित करना जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया।

19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई चेतना उत्पन्न की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा का प्रचार किया। इन प्रयासों ने आधुनिक भारत में महिला अधिकारों की नींव रखी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि "किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है।" यह कथन स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एवं परिभाषा

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को संसाधनों पर नियंत्रण, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। यह लैंगिक समानता की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कोठारी (2004) के अनुसार ''सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। जब यही प्रक्रिया महिलाओं पर लागू होती है, तो उसे महिला सशक्तिकरण कहा जाता है।''

मदान एवं त्यागी (2018) के अनुसार ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।''

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता की व्यापक प्रक्रिया है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

1. **जनसंख्या में समान भागीदारी:** भारत की लगभग आधी आबादी महिलाएँ हैं। यदि उन्हें विकास प्रक्रिया में समान अवसर नहीं मिलते, तो मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पाता। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास में गति आती है।
2. **आर्थिक विकास में योगदान:** महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि से राष्ट्रीय आय और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएँ परिवार की आय में योगदान देती हैं तथा गरीबी उन्मूलन में सहायक होती हैं।
3. **सामाजिक न्याय की स्थापना:** लैंगिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। महिलाओं को समान शिक्षा, रोजगार और अवसर प्रदान करने से समाज में भेदभाव और असमानता कम होती है।
4. **परिवार एवं समाज का सुदृढ़ीकरण:** एक शिक्षित एवं सशक्त महिला अपने परिवार को सशक्त बनाती है। वह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे अगली पीढ़ी का समुचित विकास संभव होता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार की भूमिका

भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

1. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (1986–87):** इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

2. **स्वाधार गृह योजना (2001–02)**: यह योजना संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान करती है। इससे उन्हें सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर मिलता है।
3. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004)**: यह योजना वंचित वर्ग की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। इससे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है।
4. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010)**: यह योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया गया है।
5. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) (2011)**: इस योजना का उद्देश्य किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार एवं कौशल विकास करना है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बन सकें।
6. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)**: इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना एवं बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। यह सामाजिक जागरूकता अभियान के रूप में भी कार्य करती है।
7. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016)**: इस योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाएँ

1. **निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव**: अनेक परिवारों में महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी का अवसर नहीं दिया जाता। इससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक भूमिका सीमित हो जाती है।
2. **शिक्षा में असमानता**: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा अभी भी बाधित है। शिक्षा के अभाव में वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रह जाती हैं।
3. **रोजगार में असमान अवसर**: महिलाओं को कई क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। इससे उनकी आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है।
4. **घरेलू हिंसा**: घरेलू हिंसा महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को कमजोर करती है। यह उनके मानसिक और सामाजिक विकास में गंभीर बाधा है।
5. **लैंगिक भेदभाव एवं रूढ़िवादी मानसिकता**: समाज में पुत्र को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। यह मानसिकता महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।
6. **दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या**: ये सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं की गरिमा और अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा हैं। इन्हें समाप्त किए बिना सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।

महिला सशक्तिकरण के समाधानात्मक उपाय

1. **सर्वसुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**: महिलाओं को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ाती है।
2. **आर्थिक आत्मनिर्भरता**: महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता सशक्तिकरण का मूल आधार है।
3. **कानूनी जागरूकता**: महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए। इससे वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं।
4. **सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन**: परिवार और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। बिना मानसिक परिवर्तन के वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है।
5. **कठोर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन**: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। इससे समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ेगी।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण की धारणा से महिलाएँ अधिक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनती हैं। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय–निर्माण के समान अवसर प्राप्त होते हैं, तब वे न केवल अपने जीवन को सुदृढ़ बनाती हैं, बल्कि परिवार और समाज के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी आधी आबादी की सहभागिता पर निर्भर करती है, इसलिए महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय उन्नति की अनिवार्य शर्त है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं का कुल कार्यबल उत्पादन में अधिक योगदान सुनिश्चित किया जाए तो देश की जी.डी.पी. में लगभग 27 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी केवल सामाजिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी आधार है।

अतः देश के सभी छोटे–बड़े क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं को समाज से भयभीत होने के स्थान पर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर आगे आना होगा। उन्हें झाँसी की रानी की तरह साहस, आत्मबल और संघर्ष की भावना के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जब महिलाएँ स्वयं सशक्त बनेंगी और समाज भी उन्हें समान सम्मान देगा, तभी वास्तविक समानता और समरसता स्थापित हो सकेगी।

अंततः कहा जा सकता है:

"कोमल है कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है;
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है।"

संदर्भ सूची

1. अम्बेडकर, भीमराव रामजी (1936/2014) *जाति का विनाश.* नवयाना प्रकाशन, नई दिल्ली ।
2. बोगार्डस, ई. एस. (1964) *सामाजिक अनुसंधान के सिद्धांत.* मैकमिलन प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. कोठारी, सी. आर. (2004) *अनुसंधान पद्धतिः विधियाँ एवं तकनीकें* (द्वितीय संस्करण). न्यू एज इंटरनेशनल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. सारस्वत, मालती एवं गोस्वामी, एल. एम. (2015) *भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्याएँ.* आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद।
5. मदान; पूनम एवं त्यागी, गुरुसरनदास (2018) *भारत में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन.* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
6. पचौरी, गिरीश (2016) *शिक्षा के समसामयिक मुद्दे.* आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
7. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2015) *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना दिशानिर्देश.* भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. विश्व बैंक. (2022) *लैंगिक समानता एवं विकास पर विश्व विकास प्रतिवेदन.* विश्व बैंक प्रकाशन, वाशिंगटन, डी.सी.।
9. https://hindrise.org/resources/women-empowerment-in-india-and-its-importance, Accessed on 16/09/2025.
10. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/advancement-of-womens-empowerment-in-india, Accessed on 09/10/2025.
11. https://www.nextias.com/blog/women-empowerment, Accessed on 10/112025.

****